

## कार्यालयः— संतोष बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर (म0प्र0)

क्रमांक—क्यू0 / सी0जे0एम0 / 2023

श्योपुर, दिनांक 24.04.2023

### // कार्य विभाजन आदेश //

(द0प्र0सं0, 1973 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत दाष्ठिक कार्य विभाजन)

मैं संतोष बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 14(1) एवं 15(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक जिला स्थापना, श्योपुर पर पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं अनुसांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करते हुए पूर्व के समस्त कार्य विभाजन पत्रक एवं संशोधन पत्रकों को निरसित करते हुए, वर्ष 2023 के लिये नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूं, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्योपुर के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा :—

क्र.	मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	आपराधिक कार्य वितरण
			4
1	संतोष बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर	1. संपूर्ण राजस्व जिला श्योपुर	<ol style="list-style-type: none"> <li>ऐसे समस्त दाष्ठिक प्रकरण जिनमें क्षमा प्राप्त अभियुक्तों को साक्षी बनाया गया है।</li> <li>सिनेमेटोग्राफ एक्ट के प्रकरण।</li> <li>पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट एन्यायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रकरण।</li> <li>केबल, टेलीविजन नेटवर्क रेग्यूलेशन एक्ट, 1989।</li> <li>मानसिक स्वारथ्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां।</li> <li>सम्पूर्ण जिले के आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न ई.आर./खारिजी।</li> <li>सम्पूर्ण जिले के ऐसे सभी अधिनियम के प्रकरण जिनका स्पष्ट उल्लेख कार्य विभाजन में नहीं है।</li> <li>सम्पूर्ण जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत 9 टन से अधिक भार क्षमता/ओवर लोडिंग से संबंधित मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रकरण।</li> <li>परिवहन अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रस्तुत समस्त मामले।</li> <li>समस्त श्योपुर जिले के किसी भी थाना क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के मोटरयान अधिनियम अथवा अन्य विविध अधिनियम के अन्तर्गत चलित न्यायालय का आयोजन।</li> <li>सम्पूर्ण जिले श्योपुर के ऐसे प्रकरण जो केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं।</li> </ol>
		आरक्षी केन्द्र— (1) कोतवाली (2) देहात (3) यातायात श्योपुर (4). आबकारी वृत्त श्योपुर व कराहल, (5). वन विभाग, श्योपुर	<ol style="list-style-type: none"> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न अभियोग पत्र एवं निजी परिवाद पत्र (ग्राम न्यायालय एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, को छोड़कर) प्रस्तुत होंगे।</li> <li>आबकारी वृत्त श्योपुर व कराहल में उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र।</li> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के प्रकरण।</li> <li>राजस्व तहसील श्योपुर, बड़ौदा, कराहल से उत्पन्न समस्त वन अधिनियम के प्रकरण।</li> <li>राजस्व तहसील श्योपुर, बड़ौदा, कराहल से उत्पन्न होने वाले मार्झिनिंग लॉ से संबंधित खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद/अभियोग पत्र।</li> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र।</li> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण।</li> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम एवं नापतोल अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण।</li> <li>नगर परिषद श्योपुर एवं बड़ौदा से संबंधित नगर पालिका अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</li> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खात्मा/खारजी प्रकरण।</li> <li>माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्योपुर द्वारा अंतरित प्रकरण।</li> </ol>
2.	सुश्री सपना शिवहरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर	(1) बड़ौदा, (2) आवदा (3) किशोर न्याय बोर्ड, श्योपुर	<ol style="list-style-type: none"> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र जिसमें ((ग्राम न्यायालय एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, को छोड़कर) प्रस्तुत होंगे।</li> <li>माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक A/1808/III-6-4/72-IX जबलपुर, दिनांक 14.04.2022 के क्रम में किशोर न्याय बोर्ड श्योपुर से संबंधित समस्त प्रकरण।</li> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित अल्प मात्रा के प्रकरण।</li> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण।</li> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण।</li> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण।</li> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न समस्त खात्मा प्रकरण।</li> <li>आरक्षी केन्द्र सेसईपुरा, देहात एवं आवदा से उत्पन्न समस्त धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम—1881 के परिवाद पत्र।</li> <li>सक्षम न्यायालय द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</li> </ol>
3.	श्री डालचन्द,	आरक्षी केन्द्र	<ol style="list-style-type: none"> <li>उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र (ग्राम</li> </ol>

	<b>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर</b>	<b>(1) मानपुर (2) बरगवां</b>	<p>न्यायालय एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, को छोड़कर) प्रस्तुत होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एकट के तहत अल्प मात्रा से संबंधित अपराध के प्रकरण।</li> <li>3. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.22 अनुसार स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुये संशोधन के अनुसार 52—ए के अंतर्गत कार्यवाही हेतु पुलिस आरक्षी केन्द्र कोतवाली, बड़ौदा, आवदा, कराहल, सेसईपुरा एवं किशोर न्याय बोर्ड से उद्भूत धारा 52—ए के आवेदन पत्र का निराकरण।</li> <li>4. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न समस्त खात्मा प्रकरण।</li> <li>5. आरक्षी केन्द्र बड़ौदा से उत्पन्न समस्त धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम—1881 के अंतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत होंगे।</li> <li>6. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण।</li> <li>7. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण।</li> <li>8. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण।</li> <li>9. सक्षम न्यायालय द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</li> </ol>
4.	<b>श्री सोहनलाल भगोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर</b>	<b>आरक्षी केन्द्र (1) कराहल (2) सेसईपुरा</b>	<p>1. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र (ग्राम न्यायालय एवं महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, को छोड़कर) प्रस्तुत होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एकट के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के अपराध के प्रकरण।</li> <li>3. भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.22 अनुसार स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुये संशोधन के अनुसार 52—ए के अंतर्गत कार्यवाही हेतु पुलिस आरक्षी केन्द्र देहात, बरगंवा, ढोढर, अजाक एवं मानपुर से उद्भूत धारा 52—ए के आवेदन पत्र का निराकरण।</li> <li>4. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण।</li> <li>5. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण।</li> <li>6. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न दुकान एवं संस्थापन अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण।</li> <li>7. उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न समस्त खात्मा प्रकरण।</li> <li>8. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, बरगवां से उत्पन्न समस्त धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम—1881 के परिवाद पत्र।</li> <li>9. आरक्षी केन्द्र अजाक / श्रीमान विशेष न्यायाधीश एटोसिटीज श्योपुर के न्यायालय से प्राप्त होने वाले आदेश के पालन में जमानत तस्दीक के आदेशों का पालन करना है।</li> <li>10. सक्षम न्यायालय द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</li> </ol> <p>माननीय रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक C/1622/II-15-18/01 (Amendment) जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल, 2022 के क्रम में ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008</b> में वर्णित पहली अनुसूची (धारा 12 और धारा 14 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008) के भाग—1—भारतीय दंड संहिता—1860 के अधीन अपराध, आदि। <ul style="list-style-type: none"> <li>(i). ऐसे अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय नहीं है।</li> <li>(ii) भा.दं.सं. की धारा 379, 380, 381, 411, 414, 454, और 456 के ऐसे अपराध जिनका मूल्य 20,000/- रुपये से अधिक न हो।</li> <li>(iii) भा.दं.सं. की धारा 504, 506 के अधीन ऐसी अवधि के जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित आपराधिक अभित्रास।</li> <li>(iv) पूर्वोक्त अपराधों में से किसी का उपशमन।</li> <li>(v) पूर्वोक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो।</li> </ul> </li> <li>2. ग्राम न्यायालय अधिनियम—2008 में वर्णित पहली सूची के भाग—दो अन्य केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन अपराध और अनुतोष। <ul style="list-style-type: none"> <li>(i). ऐसे किसी कार्य द्वारा गठित कोई अपराध जिसके बावजूद पशु उपचार अधिनियम—1871 (1871 का 1) की धारा 20 के अधीन परिवाद किया गया हो।</li> <li>(ii). मजदूरी संदाय अधिनियम—1936 (1936 का 4)।</li> <li>(iii). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम—1948 (1948 का 11)।</li> <li>(iv). सिविल अधिकार अधिनियम—1955 (1955 का 22)।</li> <li>(v). दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पत्नियों, बालकों और माता—पिता के भरण—पोषण के लिए आवेदन।</li> <li>(vi). बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम—1976 (1976 का 19)।</li> <li>(vii). समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)।</li> <li>(viii) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम—2005 (2005 का 43)</li> </ul> </li> </ol>
5	<b>सुश्री मिताली पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर</b>	<b>(1) महिला थाना श्योपुर (2) ढोढर (3) सम्पूर्ण राजस्व तहसील श्योपुर, बड़ौदा, कराहल, मानपुर से</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. राजस्व तहसील श्योपुर, कराहल, बड़ौदा, मानपुर से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है, को छोड़कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय अपराध से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं प्राप्त होने वाले परिवाद पत्र।</li> <li>2. राजस्व तहसील श्योपुर, कराहल, बड़ौदा, मानपुर से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, एवं नियम 2006, (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले गांवों, जो अनुलग्न—स में वर्णित हैं, को छोड़कर) प्रस्तुत होंगे।</li> </ol>



## / सामान्य आदेश //

1. इस आदेश के क्रियान्वयन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे। इस विभाजन पत्रक के बारे में कोई कठिनाई आने पर उनका निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
2. यह कार्य विभाजन आदेश भूतलक्षीय प्रभावी नहीं होगा और न ही वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लम्बित प्रकरणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।
3. सभी मजिस्ट्रेट वह कार्य एवं प्रकरणों का निराकरण करेंगे जो समय-समय पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्योपुर द्वारा अंतरित एवं सौंपा जावे।
4. रिक्त/स्थानांतरित न्यायालय द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट एवं (जिनमें वन विभाग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.2021 के पूर्व के वारण्टों को छोड़कर) का निराकरण कार्य विभाजन पत्रक अनुसार जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को संबंधित आरक्षी केन्द्र आवंटित किया गया है, उनके द्वारा निराकरण किया जाएगा। सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने पूर्वाधिकारी एवं स्वयं द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्टों का निराकरण करेंगे।
5. समस्त मजिस्ट्रेट स्वयं के न्यायालय से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय अपीलीय न्यायालय से वापस आने वाले प्रकरण जुर्माना, प्रतिकर एवं सुपरसेशन वारंट आदि से संबंधित समस्त कार्यवाही करेंगे।
6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के रिक्त न्यायालयों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय अपीलीय न्यायालय से वापस आने वाले प्रकरण में जुर्माना/प्रतिकर/सुपरसेशन वारंट संबंधी निष्पादन कार्यवाहियां/विविध निष्पादन कार्यवाहियां एवं आदेश/निर्णय के अनुपालन में की जाने वाली समस्त निष्पादन कार्यवाहियां/विविध निष्पादन कार्यवाहियां जिला मुख्यालय, श्योपुर पर श्री डालचन्द, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर/उनके पदोत्तरवर्ती द्वारा एवं बाह्यवर्ती न्यायालय, विजयपुर पर श्री राहुल सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयपुर/उनके पदोत्तरवर्ती द्वारा किया जावेगा।
7. स्थापना पर कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति/अवकाश/स्थानांतरण दशा में उनके न्यायालय का आपराधिक कार्य का प्रभार निम्नानुसार सम्पादित किया जावेगा :—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	प्रथम चार्ज	द्वितीय चार्ज	तृतीय चार्ज	चतुर्थ चार्ज
1	श्री संतोष बघेल सी.जे.एम. श्योपुर	श्री डालचन्द जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री सपना शिवहरे जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री सोहनलाल भगौरा जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री मिताली पाठक जे.एम.एफ.सी. श्योपुर
2	सुश्री सपना शिवहरे जे.एम.एफ.सी. एवं किशोर न्याय बोर्ड श्योपुर	सुश्री मिताली पाठक जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री सोहनलाल भगौरा जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री डालचन्द जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री संतोष बघेल सी.जे.एम. श्योपुर
3	श्री डालचन्द जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री सपना शिवहरे जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री सोहनलाल भगौरा जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री मिताली पाठक जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री संतोष बघेल सी.जे.एम. श्योपुर
4	श्री सोहनलाल भगौरा जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री डालचन्द जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री सपना शिवहरे जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री मिताली पाठक जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री संतोष बघेल सी.जे.एम. श्योपुर
5	सुश्री मिताली पाठक जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री सोहनलाल भगौरा जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री डालचन्द जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री सपना शिवहरे जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री संतोष बघेल सी.जे.एम. श्योपुर
6	श्री राहुल सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला-श्योपुर	श्री भारत सिंह भंगर जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला-श्योपुर	श्री डालचन्द जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री सपना शिवहरे जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री सोहनलाल भगौरा जे.एम.एफ.सी. श्योपुर
7	श्री भारत सिंह भंगर जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला-श्योपुर	श्री राहुल सिंह यादव जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला-श्योपुर	श्री सोहनलाल भगौरा, जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	सुश्री मिताली पाठक जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	श्री डालचन्द जे.एम.एफ.सी. श्योपुर

8. रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति, माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दगीनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है, उसका निराकरण स्वयं के न्यायालय में करेंगे।
9. स्थापना पर कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा निम्नलिखित आरक्षी केन्द्रों अनुसार धारा 164 द०प्र०सं० 1973 के अधीन कथन/संस्वीकृतियां लिये जायेगे। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में धारा 164 द०प्र०सं० के कथन/संस्वीकृतियां कार्य विभाजन की नोट क्रमांक 7 अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा लिये जायेंगे :—

क्र०	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र
1	सुश्री सपना शिवहरे जे.एम.एफ.सी. श्योपुर	आरक्षी केन्द्र-महिला थाना श्योपुर, ढोढर, बरगंवा, ग्राम न्यायालय एवं वन विभाग से उत्पन्न होने वाले महिला उत्पीड़न सहित समस्त

		आपराधिक प्रकरण।
2	<b>श्री डालचन्द,</b> जे०एम०एफ०सी० श्योपुर	आरक्षी केन्द्र कराहल, सेसईपुरा, अजाक एवं आबकारी वृत्त से उत्पन्न होने वाले महिला उत्पीड़न सहित समस्त आपराधिक प्रकरण तथा किशोर न्यायबोर्ड एवं आरक्षी केन्द्र बडौदा, आवदा से उत्पन्न होने वाले केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय महिला उत्पीड़न से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
3	<b>श्री सोहनलाल भगौरा</b> जे०एम०एफ०सी० श्योपुर	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मानपुर एवं देहात से उत्पन्न होने वाले महिला उत्पीड़न सहित समस्त आपराधिक प्रकरण।
4	<b>सुश्री मिताली पाठक,</b> जे०एम०एफ०सी०, श्योपुर	किशोर न्यायबोर्ड, आरक्षी केन्द्र बडौदा व आवदा से उत्पन्न महिला उत्पीड़न संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर शेष अन्य समस्त प्रकरण।

### तहसील विजयपुर से संबंधित

7	<b>श्री राहुल सिंह यादव,</b> जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला—श्योपुर	01. आरक्षी केन्द्र वीरपुर, रघुनाथपुर, चिलवानी, ओछापुरा से उत्पन्न होने वाले महिला उत्पीड़न (माननीय सत्र न्यायालय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा विचारणीय आपराधिक प्रकरण) सहित समस्त आपराधिक प्रकरण तथा आरक्षी केन्द्र विजयपुर, अगरा, गसवानी, मगरदा, वनविभाग, आबकारी अधिनियम से उत्पन्न केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा महिला उत्पीड़न से संबंधित विचारणीय आपराधिक प्रकरण।
8	<b>श्री भारत सिंह भंवर</b> जे.एम.एफ.सी. विजयपुर, जिला—श्योपुर	आरक्षी केन्द्र विजयपुर, अगरा, गसवानी, मगरदा, आबकारी अधिनियम एवं वनविभाग से उत्पन्न होने वाले (महिला उत्पीड़न के मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण जिसके अंतर्गत महिला उत्पीड़न के माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध भी आते हैं।

**नोट—** तहसील विजयपुर में श्री राहुल सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयपुर, जिला—श्योपुर के अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में तहसील विजयपुर के समस्त थानों से महिला उत्पीड़न के मामले जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, उनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत कथन सुश्री मिताली पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर के द्वारा लिये जावेंगे।

10. न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना, जो वृद्धावस्था तथा बीमारी अथवा दूरस्थ रथान से समन या वारंट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यंत व्यय, असंभव एवं असुविधाजनक हो और जहां से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असम्भव हो ऐसे प्रकरण में संबंधित प्रभारी मजिस्ट्रेट, आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापस करेंगे।
11. किसी अन्य पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो समान अधिकार युक्त हों, पर यह आदेश प्रभावी होगा।
12. विशेष परिस्थितियों में सम्पूर्ण जिले से उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
13. किसी न्यायालय के लम्बित एवं निर्णीत दाइडक प्रकरण से उद्भूत विविध कार्यवाही एवं प्रकरण उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेंगे।
14. एन०डी०पी०एस० एकट, म०प्र० डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम तथा अ०जा० एवं ज०जा० (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं अन्य सभी विशेष मामलों में सार्वजनिक अवकाश/अवकाश के दौरान रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही की जावेगी और रिमाण्ड प्रपत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित विशेष न्यायाधीश महोदय की ओर यथाशीघ्र प्रेषित करेंगे।
15. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से प्रतिमाह लगाई जा सकती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी सम्पूर्ण जिले में चलित न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर की अनुमति से लगाई जा सकती है।
16. यह कार्य विभाजन आदेश विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।
17. अवकाश काल में प्रत्येक माह मजिस्ट्रेटों की रिमाण्ड ड्यूटी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जायेगी।
18. सभी मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

19. जिला एवं तहसील मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन समस्त आरक्षी केन्द्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य सम्पादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
20. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा।
21. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने—अपने आरक्षी केन्द्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।
22. धारा 176(1)(क) द०प्र०सं० के अंतर्गत कस्टोडियल डेथ के मामलों में संबंधित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पुलिस अधिकारी/जेल अधिकारी के निवेदन पर जांच करेंगे।
23. यह आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर की अनुमति व अनुमोदन दिनांक से लागू होगा।

Sd/-

(संतोष बघेल)

अनुमोदित,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

श्योपुर (म०प्र०)

Sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

श्योपुर (म०प्र०)

**प्रतिलिपि :-**

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. माननीय जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) महोदय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, श्योपुर, जिला-श्योपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
6. श्रीमान विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), श्योपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
7. श्रीमान प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्योपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
8. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
9. श्रीमान जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश, विजयपुर, जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
10. जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर, जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
11. पुलिस अधीक्षक, जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त अधीनस्थ थाना प्रभारी को अवगत किया जाना सुनिश्चित करें।
12. वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी कूनो) श्योपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
13. वनमण्डलाधिकारी (सामान्य) श्योपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
14. सुश्री सपना शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड, श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
15. श्री डालचन्द, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
16. श्री राहुल सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजयपुर जिला-श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
17. श्री सोहनलाल भगोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
18. सुश्री मिताली पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
19. श्री भारतसिंह भंवर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयपुर जिला-श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
20. प्रस्तुतकार, माननीय प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्योपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
21. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, श्योपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
22. अध्यक्ष, तहसील अभिभाषक संघ, विजयपुर, जिला-श्योपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
23. जिला अभियोजन अधिकारी, श्योपुर/सहा. लोक अभियोजक विजयपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
24. जिला आबकारी अधिकारी, श्योपुर/आबकारी अधिकारी विजयपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
25. उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्योपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
26. जिला खनिज अधिकारी, श्योपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
27. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका श्योपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
28. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद विजयपुर, जिला-श्योपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
29. उप-अधीक्षक, जिला जेल श्योपुर/सहायक अधीक्षक, उपजेल विजयपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
30. सी.एम.एच.ओ., जिला श्योपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**Sd/-**

(संतोष बघेल)  
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
 श्योपुर (म0प्र0)